न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 194 सन् 2022

विष्णु प्रसाद मंमगांई पुत्र स्व0 खुशालमणी मंमगाई,
निवासी ग्राम सिमड़ी थाना पैठाणी जिला पौड़ी गढ़वाल।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार। ..... विरूद्ध पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या 22 सन् 2021
दण्ड वाद संख्या 791 सन् 2022 राज्य बनाम विष्णु प्रसाद मंमगांई
अतर्गत धारा 504, 506 व 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
थाना पैठाणी, जिला पौड़ी गढ़वाल।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से श्री महेश बलूनी अधिवक्ता, उपस्थित विद्वान अधिवक्ता
अभियोजन की ओर से श्री आशीष जदली, विद्वान नामिका अधिवक्ता अभियोजन।

दिनांक 02.11.2022

<u>आदेश</u>

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु प्रसाद मंमगांई की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 22 सन् 2021 दण्ड वाद संख्या 791 सन् 2022 राज्य बनाम विष्णु प्रसाद मंमगांई, अतर्गत धारा 504, 506 व 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860, थाना पैठाणी, जिला पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। वह न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत दाखिल करने को तैयार है। इसलिए जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. अभियोजन की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा अन्तर्गत धारा 504, 506 व 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध है, अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

4. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 504, 506 प 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का अपराध है। दौराने अन्वेषण प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि धारा 41 (1) (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की नोटिस अन्वेषण अधिकारी के द्वारा दिया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन ने ऐसा कथन नही किया है कि उनके द्वारा गवाहन को धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

6. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु प्रसाद मंमगांई की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 15,000 (पन्द्रह हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर उसे रिहा किया जाये।

दिनॉक 02.11.2022

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।